

भारत सरकार  
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2892  
उत्तर देने की तारीख 21 मार्च, 2022 (सोमवार)  
30 फाल्गुन, 1943 (शक)

प्रश्न

मंत्रालयों द्वारा उत्तर पूर्व क्षेत्र को आवंटित निधि

2892. श्री इंद्रा हांग सुब्बा:

क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान मंत्रालयों द्वारा उत्तर पूर्व क्षेत्र (एनईआर) हेतु अपने आवंटित बजट का दस प्रतिशत व्यय करने के वायदे के अनुसार एनईआर हेतु आवंटन और व्यय का मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ख) उक्त निधि में से कितने प्रतिशत का एनईआर में शिक्षा और सड़क विकास में उपयोग किया गया है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री  
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) वर्तमान में कुल मिलाकर, 54 गैर-छूट प्राप्त केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए अपनी सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का कम से कम 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में व्यय करने का अधिदेश दिया गया है। 2016-17 से 2021-22 तक विगत पांच वर्षों की अवधि के दौरान 10% जीबीएस के तहत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय का विवरण नीचे तालिका-1 में दिया गया है।

तालिका 1: 10% जीबीएस के तहत बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय (करोड़ रु. में)			
वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2016-17	29,124.79	32,180.08	29,367.9

<b>2017-18</b>	43,244.64	40,971.69	39,753.44
<b>2018-19</b>	47,994.88	47,087.95	46,054.80
<b>2019-20</b>	59,369.90	53,374.19	48,533.80
<b>2020-21</b>	60,112.11	51,270.90	48,563.82
<b>2021-22</b>	68,020.24	68,440.26	38,455.57*

स्रोत: केंद्रीय बजट का विवरण 11/23, विभिन्न वर्ष  
नोट: वास्तविक व्यय के आंकड़े अनंतिम हैं और वित्त मंत्रालय द्वारा संवीक्षा के अधीन हैं।  
\* 31.12.2021 तक, जैसा कि 54 गैर-छूट प्राप्त मंत्रालयों / विभागों द्वारा सूचित किया गया है।

पिछले पांच वर्ष अर्थात 2016-17 से 2020-21 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के विकास के लिए 10 प्रतिशत जीबीएस के तहत मंत्रालय-वार आवंटन और व्यय का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ख) पिछले पांच वर्ष अर्थात 2016-17 से 2020-21 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में 10 प्रतिशत जीबीएस के तहत क्रमशः शिक्षा और सड़क विकास के संबंध में संशोधित अनुमान (आर.ई.), वास्तविक व्यय और उपयोग की गई निधि के प्रतिशत का विवरण अनुबंध-11 में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

अनुबंध-1

मंत्रालयों द्वारा उत्तर पूर्व क्षेत्र को आवंटित निधि के संबंध में लोक सभा में दिनांक 21-03-2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2892 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुबंध-1

वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक 10 प्रतिशत जीबीएस के तहत संशोधित अनुमान (आर.ई.) और वास्तविक व्यय

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
1	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	317.0	295.2	323.0	323.0	460.0	460.0	462.7	462.7	497.6	497.6
2	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	1195.6	177.3	2838.3	1237.0	6726.3	2203.7	10136.7	4057.5	11619.9	2926.8
3	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग	154.4	152.8	160.6	149.8	264.7	261.8	254.9	256.9	312.4	326.7
4	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी	103.0	102.9	155.0	154.8	107.9	103.4	69.3	62.1	113.0	111.8
5	जैव प्रौद्योगिकी	189.7	181.2	147.2	147.5	159.9	160.0	154.6	154.5	166.7	139.7
6	रसायन और पेट्रो रसायन	16.0	2.0	27.4	17.8	5.9	206.8	22.0	214.1	2.6	2.6
7	नागर विमानन	#	#	0.0	79.9	0.0	160.3	70.0	68.7	70.0	70.0
8	कोयला	15.0	0.0	18.6	1.8	72.5	2.3	87.2	6.1	55.4	8.5
9	वाणिज्य	132.5	131.7	100.0	103.7	102.9	102.5	110.0	110.0	100.0	142.4
10	उपभोक्ता मामले	354.1	101.1	362.4	5.0	169.0	21.5	195.0	86.5	1194.2	529.9
11	संस्कृति	172.1	126.3	131.6	104.0	168.7	122.5	122.2	117.1	39.3	22.2
12	रक्षा (विविध)	25.0	1427.3	275.8	275.8	143.5	143.5	240.6	238.6	318.0	315.3
13	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास	966.7	950.6	870.1	715.3	1091.4	628.5	1494.5	1483.0	1040.0	1066.3
14	पेयजल और स्वच्छता	1625.0	1625.0	2370.0	2369.8	1997.8	1750.0	1833.9	1883.9	1700.0	1811.7
15	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी	314.9	186.8	221.0	221.0	337.0	337.0	321.3	320.8	305.0	298.5
16	दिव्यांगजन सशक्तीकरण	73.0	69.1	79.5	68.5	86.7	44.7	82.5	77.8	55.3	38.1
17	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	167.6	140.0	131.8	129.6	163.6	158.6	165.5	141.9	130.3	132.1
18	मत्स्य पालन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.8	84.8	83.2	82.0
19	खाद्य और सार्वजनिक वितरण	77.4	67.5	57.2	52.8	102.0	99.9	64.4	59.6	30.9	26.9
20	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	68.9	66.3	63.4	53.0	87.0	38.8	88.9	19.4	115.0	89.0
21	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	3130.0	3080.5	4086.1	3945.3	4345.4	4001.8	4556.9	4222.3	4573.4	4894.9
22	स्वास्थ्य अनुसंधान	75.0	8.8	75.0	71.6	92.5	87.4	101.0	91.4	83.0	74.6
23	उच्चतर शिक्षा	1688.5	1561.1	2783.5	2649.2	2341.0	2263.3	2863.0	2583.1	2496.2	2288.6
24	गृह मंत्रालय	30.0	\$	33.0	33.0	33.0	232.6	33.0	315.4	195.0	460.3

25	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	102.0	102.0	639.3	640.2	1203.6	697.5	1252.6	1227.5	563.5	550.9
26	सूचना और प्रसारण	86.0	89.2	60.6	49.4	122.2	65.2	105.2	127.7	45.3	51.8
27	श्रम और रोजगार	61.0	61.0	631.1	631.0	947.5	947.5	1080.3	634.4	1309.5	1165.1
28	भूमि संसाधन	164.0	164.0	180.0	180.0	198.6	184.1	178.3	285.1	123.9	205.9
29	विधि और न्याय	92.4	48.8	101.6	33.0	97.5	71.5	120.0	102.0	81.4	81.4
30	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	476.4	326.4	463.1	590.7	679.7	667.5	755.3	720.6	566.8	482.1
31	खान	27.8	29.3	30.3	70.8	61.1	72.0	73.0	76.2	74.7	82.6
32	अल्पसंख्यक कार्य	244.0	138.4	287.4	645.8	432.4	278.4	477.7	889.2	467.2	453.9
33	नवीन और नवीकरणीय उर्जा	413.0	204.9	394.0	168.0	504.5	122.4	375.0	128.1	335.0	105.1
34	पंचायती राज	65.5	65.5	70.0	54.4	69.3	111.7	48.0	79.5	65.7	65.7
35	औषध	26.3	26.3	38.9	52.0	33.5	33.5	41.4	36.4	79.3	83.3
36	पुलिस	657.1	\$	897.8	981.3	677.9	1430.2	764.5	1179.9	350.6	748.2
37	डाक	47.0	34.5	72.6	21.7	77.2	22.6	53.9	35.8	98.1	92.7
38	विद्युत	1041.4	861.7	1220.7	1284.9	2891.0	2082.5	2508.8	2071.0	1056.0	1056.0
39	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार	267.5	240.0	1542.6	1541.7	1088.8	1088.0	1297.6	1288.7	756.4	956.0
40	सार्वजनिक उद्यम	0.7	0.7	0.8	0.7	0.9	0.9	1.0	0.5	0.6	0.3
41	सड़क परिवहन और राजमार्ग	4520.0	4464.7	5265.0	5237.8	6210.0	5944.5	6070.0	5982.1	7970.0	7935.2
42	ग्रामीण विकास	4381.2	4281.2	4563.9	5275.5	3271.0	9742.5	4349.0	5501.4	5240.4	7979.2
43	स्कूली शिक्षा और साक्षरता	3935.6	3696.5	4110.3	4215.9	3952.1	4125.3	4448.2	4662.9	1667.8	4792.7
44	पोत परिवहन	93.3	80.6	126.0	125.9	125.0	105.0	59.1	56.3	42.0	32.0
45	कौशल विकास एवं उद्यमिता	\$	\$	152.3	155.4	244.1	222.8	223.5	124.7	244.8	215.5
46	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	243.3	198.0	253.1	160.1	318.0	270.4	343.8	212.6	306.8	220.1
47	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	30.0	21.3	18.8	12.4	24.9	26.7	49.4	195.2	20.6	42.1
48	दूरसंचार	1113.7	460.2	1103.7	531.6	790.9	307.5	799.8	862.1	1150.6	802.4
49	वस्त्र	335.0	339.0	360.0	344.4	255.4	231.9	273.3	217.5	135.2	169.1
50	पर्यटन	150.0	221.3	175.0	175.9	198.4	214.4	129.9	74.9	115.0	146.7
51	जनजातीय कार्य	449.0	540.0	526.0	667.5	600.0	855.6	706.0	1128.5	551.3	814.7
52	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण	241.9	301.8	156.5	910.1	318.8	746.4	370.6	566.2	331.1	407.2
53	महिला और बाल विकास	1660.1	1550.3	2045.0	1902.5	2451.3	1665.0	2592.0	2724.7	2078.8	2326.0
54	युवा कार्य और खेल	113.8	110.9	174.9	143.8	183.5	130.7	233.5	223.9	146.5	143.9
	<b>कुल</b>	<b>32180.1*</b>	<b>29367.9*</b>	<b>40971.7</b>	<b>39753.4^</b>	<b>47088.0</b>	<b>46054.8</b>	<b>53374.2</b>	<b>48533.8</b>	<b>51270.9</b>	<b>48563.8</b>

स्रोत: मंत्रालय/विभाग

नोट: आंकड़े अनंतिम हैं और वित्त मंत्रालय की संवीक्षा के अधीन हैं

\$ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं.

# विवरण-11 में कोई आबंटन नहीं किया गया है।

\* 2016-17 के दौरान संशोधित अनुमानों और वास्तविक व्यय में भारी उद्योग विभाग (संशोधित अनुमान- 50.0 करोड़ रुपये और वास्तविक व्यय- 56.0 करोड़ रुपये) और शहरी विकास मंत्रालय (संशोधित अनुमान- 200.0 करोड़ रुपये और वास्तविक व्यय- 200.0 करोड़ रुपये) का आवंटन और व्यय शामिल है, जिसे बाद में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ विलय कर दिया गया था।

^ 2017-18 के दौरान वास्तविक व्यय में भारी उद्योग विभाग का व्यय (वास्तविक व्यय-40.0 करोड़ रुपये) शामिल है।

अनुबंध-11

मंत्रालयों द्वारा उत्तर पूर्व क्षेत्र को आवंटित निधि के संबंध में लोक सभा में दिनांक 21-03-2022 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2892 के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित अनुबंध-11									
मंत्रालयों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र को निधियों का आवंटन									
वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक 10 प्रतिशत जीबीएस के तहत शिक्षा और सड़क विकास के संबंध में संशोधित अनुमान (आर.ई.), वास्तविक व्यय और उपयोग की गई निधि का प्रतिशत (करोड़ रु. में)									
वर्ष	उच्च शिक्षा विभाग			स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग			सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय		
	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	आर.ई. के सापेक्ष वास्तविक व्यय का %	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	आर.ई. के सापेक्ष वास्तविक व्यय का %	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	आर.ई. के सापेक्ष वास्तविक व्यय का %
2016-17	1688.5	1561.1	92.5	3935.6	3696.5	93.9	4520.0	4464.7	98.8
2017-18	2783.5	2649.2	95.2	4110.3	4215.9	102.6	5265.0	5237.8	99.5
2018-19	2341.0	2263.3	96.7	3952.1	4125.3	104.4	6210.0	5944.5	95.7
2019-20	2863.0	2583.1	90.2	4448.2	4662.9	104.8	6070.0	5982.1	98.6
2020-21	2496.2	2288.6	91.7	1667.8	4792.7	287.4	7970.0	7935.2	99.6

\*\*\*\*\*